तारीख हुक्म	RTA – 88, 188 वाद सं- 36/2021 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रजीमा V/s डाली वगै०	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9/12/24	पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बार एसोसियशन का कार्य स्थगन किया हुआ है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त है। पत्रावली साविक आदेश दिनांक 24/12/24 को पेश हो। आज्ञा से रीडर	
24/12/24	पत्रावली पेश हुई। वादी अनु. उप. पैरोकार सरकार उप. पैरोकार सरकार द्वारा जवाब पेश किया गया कि जरिये नामा. सं. 1018 दि. 14/6/23 से भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो चुकी है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से श्री गोपाल लाल पुत्र अर्जुन बलाई को विक्रय कर दी है तथा वादग्रस्त भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर क्रेता के नाम दर्ज हो चुकी है। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष वादीगण को प्राप्त हो चुका है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को निर्णित किया जाता है। लिहाजा स्वरे इजलास सुनाया गया। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो। 24/12/24 सहायक कलेक्टर भीलवाड़ा	

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. सीमा पुत्री मदन कोली जाति कोली उम्र वयस्क निवासी कोली मोहल्ला होली का ठान, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. सुशीला पुत्री मदन कोली जाति कोली उम्र वयस्क निवासी कोली मोहल्ला, होली का ठान भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. डाली बाई पत्नी मदन कोली जाति कोली उम्र वयस्क निवासी कोली मोहल्ला होली का ठान भीलवाड़ा
2. शंकर पिता मदन कोली जाति कोली उम्र वयस्क निवासी कोली मोहल्ला होली का ठान भीलवाड़ा
3. कन्हैयालाल पिता मदन कोली जाति कोली उम्र वयस्क निवासी कोली मोहल्ला होली का ठान भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् वाद बाबत खातेदार काश्तकारी घोषित कराये जाने एवं इन्द्राज को दुरूस्त कर बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज कराये जाने

प्रकरण संख्या 36/2021 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री मेहराज अली उपस्थित – इस वाद में आज तारीख 24.12.2024 को पीठासीन अधिकारी अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है–

जरिये नामान्तरण संख्या 10018 दिनांक 14.06.2023 से भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो चुकी है तथा वादगण एवं प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से श्री गोपाल लाल पुत्र अर्जुन बलाई को विक्रय कर दी है तथा वादग्रस्त भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर क्रेता के नाम दर्ज हो चुकी है। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष वदीगण को प्राप्त हो चुका है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को निर्णित किया जाता है।

25/12/24

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाडा

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा